4-11-20 पत्रावली पेश हुई। बहुलाप पत्रों पेश उपस्थित वकील प्रार्थी ने अपने दस्तावेजात पेश की। अपील निरस्त की। सुना गया। वकील प्रार्थी के कथन से प्रतीत है कि वकील अपीलार्थ का अपना अपीलार्थ का न्यायालय में नियत दिनांक से हाजिर न रहना कोई दुरभिसंधिपूर्वक नहीं है अतः प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना बाबत पार्थी स्वीकार किया जाता है। मूल अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ सम्बद्ध रहे। निर्णय सुना दिया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

लगातार.....